राजस्थान सरकार

आबकारी विभाग

:– नागरिक अधिकार पत्र :–

मादक पदार्थों के उत्पादन, आधिपत्य, क्रय व विक्रय पर नियंत्रण क्यों ?

मादक पदार्थों का व्यवसाय करना किसी का भी मौलिक अधिकार नही है। इन पदार्थों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय एवं बेचान की प्रक्रिया पर राज्य द्वारा उसकी नियमन सम्बन्धी शक्तियों के अन्तर्गत नियन्त्रण किया जाता है। ये शक्तियां राज्य सरकार को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की द्वितीय सूची (राज्य सूची) की बिन्दु संख्या 8 एवं 51 में मादक पदार्थों के उत्पादन, अधिपत्य, परिवहन, क्रय एवं विक्रय तथा इन पर आबकारी ड्यूटी आरोपित करने के बारे में विस्तृत प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त है।

आबकारी विभाग का मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग को इस भांति नियन्त्रित करना है ताकि गुणवत्तायुक्त मानव उपयोगी पदार्थो का उत्पादन होने के साथ–साथ इस प्रक्रिया से समुचित राजस्व अर्जित हो एवं घातक एवं अवैध मादक पदार्थ पर कठोरतम नियन्त्रण हो सके ।

आबकारी विभाग के उद्देश्य एवं कार्य–कलाप :–

1. राज्य के सर्वोन्मुखी विकास हेतु आबकारी राजस्व एकत्र करना।
2. मादक पदार्थों के उत्पादन एवं वितरण पर पर्यवेक्षण, नियन्त्रण तथा उनकी गुणवता सुनिश्चित करने हेतु कारगर कार्यवाही करना।
3. घातक व अवैध मादक पदार्थों के सेवन से जनसाधारण को विमुख करना एवं ऐसे पदार्थों पर कठोर नियंत्रण करना।
4. आबकारी राजस्व को प्रभावित करने वाली अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश रखना।
5. टेम्परेन्स (मद्यसंयम) कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन।
6. आबकारी अपराधों में लिप्त असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करना ।

आबकारी राजस्व अर्जन के प्रमुख स्त्रोत :

मदिरा–बीयर–डोडा पोस्त के ठेकों का आवंटन राज्य सरकार द्वारा वर्षवार निर्धारित आबकारी नीति अनुसार किया जाता है। मदिरा–बीयर–भांग–डोडा पोस्त के अनुज्ञाधारी इन पदार्थों का व्यवसाय करने का अनुज्ञापत्र प्राप्त कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि राजस्व के रूप में देने का अनुबंध करते हैं। अनुज्ञाधारियों को मदिरा तथा डोडापोस्त का विक्रय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विक्रय मुल्य के अनुसार ही किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त मादक पदार्थों के व्यवसाय से संबंधित संस्थाओं यथा डिस्टलरी, ब्रेवरी, बोटलिंग प्लांट, देशी मदिरा निर्माण संयत्र, होटल एवं क्लब बार, सी.एस.डी. प्रासव आधारित व्यवसायिक एवं निर्माण इकाईयों आदि के अनुज्ञापत्र भी विभाग द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। विभाग की इन गतिविधियों से आबकारी राजस्व राज्यकोष को अर्जित होता है।

सामान्य नागरिक की जानकारी हेतु आबकारी सम्बन्धी मुख्य प्रावधान एवं व्यवस्थायें:–

1. अधिकतम व्यक्तिगत अधिपत्य सीमा :–

एक समय में एक व्यक्ति अधिकतम निम्न मात्रा क्रय/आधिपत्य हेतु सक्षम है :–

A. देशी मदिरा : 3 लीटर अर्थात् 4 बोतल (प्रति बोतल 750 एम.एल.)
B. भा.नि.वि.म. : 6 लीटर अर्थात् 8 बोतल (प्रति बोतल 750 एम.एल.)
C. बीयर : 7.80 लीटर अर्थात 12 बोतल (प्रति बोतल 650 एम.एल.)
D. भांग : 200 ग्राम
E. डोडा पोस्त : विभाग द्वारा जारी उपभोक्त परमिट के अनुसार
F. अफीम : विभाग द्वारा जारी उपभोक्त परमिट के अनुसार ।

उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत दण्डनीय गैर जमानतीय अपराध है।

2. समारोहों में मदिरा सेवन

A. पारिवारिक एवं सामाजिक समारोह में मदिरा के सेवन हेतु अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी करने की व्यवस्था है।
B. अनुज्ञा शुल्क – 1000/– रू. प्रतिदिन।
C. अनुज्ञापत्र कहां से प्राप्त किया जा सकता हैं – संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से।
D. इस प्रावधान की अवहेलना दण्डनीय अपराध है।

3. होटल बार में मदिरा सेवन

आबकारी विभाग द्वारा लाइसेन्स शुदा होटल बार में मदिरा का सेवन किया जा सकता है। जिस किसी भी होटल में, जिसे आबकारी विभाग द्वारा अनुज्ञापत्र नही दिया गया है, उसमें मदिरा सेवन करना कानूनी अपराध है। ऐसे अपराध के लिए तीन वर्ष की सजा एवं दो हजार रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

4. मादक पदार्थो के सेवन को प्रोत्साहन देने पर प्रतिबन्ध

मादक पदार्थो को प्रोत्साहन देने वाले विज्ञापनों, प्रकाशनों, परिपत्रों तथा समाचारों पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध है ताकि ऐसे प्रचार–प्रसार के वशीभूत होकर साधारण नागरिक मादक पदार्थो की ओर उन्मुख एवं आकर्षित नही हो पावे ।

5. शुष्क दिवस

विभिन्न दिवसों की पवित्रता के दृष्टिगत निम्नांकित पांच शुष्क दिवस घोषित कर, मदिरा एवं भांग का बेचान, पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया हुआ है : –

1. गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी)
2. शहीद दिवस (30 जनवरी)
3. महावीर जयन्ती (07, अप्रेल)
4. स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त)
5. गांधी जयन्ति (02 अक्टुम्बर)

6. अवैध मादक पदार्थो सम्बन्धी दण्डात्मक व्यवस्थायें :

A. मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, परिवहन, आधिपत्य, विक्रय आदि पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध है।

B. मादक पदार्थो के अवैध निर्माण, परिवहन, आधिपत्य, विक्रय आदि गैर जमानतीय दण्डनीय अपराध है ।

7. मदिरा की खुदरा दुकानों का समय निर्धारण :

राज्य सरकार के आदेश की पालना में मदिरा की दुकान खुली रहने का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक कर दिया गया है ।

8. मदिरा सेवन में संयम हेतु व्यवस्था :

राजस्थान में विक्रय होने वाली देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की प्रत्येंक बोतल पर ''मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है'' एवं ''राजस्थान में विक्रय के लिये'' लिखा होना अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की बोतलों पर अधिकतम खुदरा मुल्य अंकित रहना एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा बीयर के प्रत्येक कार्टन पर होलोग्राम चिपका होना अनिवार्य है ।

9. मदिरा दुकानों के लोकेशन सम्बन्धी प्रावधान :

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की खुदरा दुकान निम्नलिखित स्थलों से 200 मीटर से अधिक की दुरी पर ही अवस्थित की जा सकती है : –

A. महाविद्यालय
B. सीनियर सैकेन्ड्री विद्यालय एवं किसी भी स्तर के कन्या विद्यालय
C. चिकित्सालय
D. अनुमोदित पूजा स्थल

E. लोक मनोरंजन स्थल (सिनेमा एवं थियेटर)
F. मजदुर या 50 प्रतिशत से अधिक हरिजन आबादी वाली हरिजन कॉलोनी

- देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की खुदरा दुकान राष्ट्रीय या राज्य उच्च मार्ग के मध्य से दोनो ओर 150 मीटर से अधिक की दुरी पर ही अवस्थित की जा सकती है।
- परन्तु यह शर्त नगर निगम/पालिका/परिषद की अधिकारिकता के भीतर आने वाले क्षेत्र तथा जहां सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दूरी में विकसित बाजार अवस्थित है, पर लागू नहीं है ।
- आबकारी आयुक्त दुकान की अवस्थिति की इन शर्तों में पर्याप्त कारण होने पर शिथिलता देने हेतु सक्षम है।
- वर्तमान सरकार द्वारा उक्त शिथिलता के अन्तर्गत संचालित समस्त मदिरा दुकानात को बन्द करा दिया गया है।

10. <u>चयनित वर्ग को मदिरा बेचान पर प्रतिबन्ध :</u>

अनुज्ञापत्र की शर्तानुसार निम्न को मदिरा नहीं बेची जा सकती है : –

A. 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को,
B. जिसके के होश हवास दुरूस्त नहीं हों,
C. पुलिस तथा सेना के सिपाही जो वर्दी में व डयूटी पर हो,
D. रेल्वे कर्मचारी जो डयूटी पर हो,
E. आबकारी विभाग का कर्मचारी जो वर्दी में अथवा ड्यूटी पर हों,
F. किसी भी वाहन के वाहन चालक,
G. हवाई जहाज के पायलट को यात्रा के दौरान,

11. <u>मदिरा की खुदरा दुकानों पर कौन कार्य नहीं कर सकता</u> :–

A. 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति

B. छूत रोग से पीडित व्यक्ति

C. महिलाएं

12. <u>डोडा पोस्त का उत्पादन, भण्डारण एवं निस्तारण :</u>

डोडा पोस्त का उत्पादन नारकोटिक्स विभाग द्वारा पट्टाधारी व्यक्ति ही कर सकता है। पट्टाधारी काश्तकार उत्पादित डोडा चूरा का निस्तारण अनिवार्य रूप से 31 जुलाई तक विभाग द्वारा अधिकृत अनुज्ञाधारी को करेगा अन्यथा उसे अवशेष माल को जलाकर नष्ट करना होता है। अति विशिष्ट परिस्थितियों में इस अवधि को अधिकतम 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

13. <u>अफीम एवं डोडा पोस्त का नियन्त्रित उपभोग :</u>

अफीम एवं डोडा पोस्त प्रतिबंधित मादक पदार्थ है जिसका सेवन अभ्यस्त परमिटधारी नागरिक ही कर सकते हैं । अफीम पंजीकृत व्यसनियों को ही उपलब्ध कराई जाती है। अफीम के नये व्यसनी पंजीकृत नहीं किये जाते हैं।

सरकार द्वारा डोडा पोस्त के अभ्यस्त उपभोक्ताओं का ध्यान रखते हुये डोडा पोस्त के उपभोक्ता परमिट जारी करने हेतु जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया था, जिसमें जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी, राजकीय चिकित्सा अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति द्वारा व्यक्ति विशेष की डोडा पोस्त की आवश्यकता का आंकलन चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाकर, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उपभोक्ता को जो परमिट जारी किये गये थे उनका प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाया जा सकता है।

14. जनजाति उपयोजना क्षेत्र के सम्बन्ध में विशेष नीति :

देशी मदिरा का विक्रय राज्य सरकार के उपक्रम गंगानगर शुगर मिल्स के माध्यम से स्वयं इस संस्थान द्वारा अथवा इसके द्वारा नियुक्त फ्रैंचाईजी द्वारा किया जाता है। भा.नि.वि.म./बीयर का विक्रय अन्य क्षेत्रों की भांति अनुज्ञाधारियों द्वारा किया जाता है।

15. शिकायत कहां करें ?

आम नागरिकों द्वारा अपनी शिकायते तथा परिवाद विभाग के राज्य स्तर पर अवस्थित विभाग के विभिन्न कार्यालय यथा मुख्यालय–कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर, संभाग स्तर पर–कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, संबंधित जोन तथा जिला स्तरीय पर–कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, संबंधित जिला में की जा सकती है ।

मदिरा के अवैध निर्माण एवं परिवहन तथा विक्रय इत्यादि के सम्बन्ध में आम नागरिक अपनी शिकायते एवं परिवाद राज्य स्तर पर अवस्थित कार्यालय प्रवर्तन निदेशक, आबकारी, राजस्थान, जयपुर में तथा प्रवर्तन निदेशालय के अधीनस्थ उप निदेशक, प्रवर्तन संबंधित जिला अथवा सहायक निदेशक, प्रवर्तन, संबंधित आबकारी थाने में की जा सकती है।

16. आबकारी विभाग की प्रशासनिक संरचना :–

राजस्थान मे आबकारी विभाग का मुख्यालय उदयपुर मे अवस्थित है एवं **आबकारी आयुक्त** इसके विभागाध्यक्ष है। आयुक्त को प्रशासनिक कार्य मे सहयोग देने हेतु आबकारी मुख्यालय पर अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), अतिरिक्त आयुक्त आबकारी मुख्यालय, वित्तीय सलाहकार, संयुक्त विधि परामर्शी, उपायुक्त आबकारी, उपायुक्त निरोधक दल एवं अन्य अधिकारी पदस्थापित है।
विभागीय कार्यकलापो के प्रभावी नियन्त्रण हेतु आबकारी प्रशासन एवं निरोधक दल के आंतरिक प्रशासन का विकेन्द्रीकरण छः अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन के अधीन निम्नांकित आबकारी/राजस्व जिले सम्मिलित कर गठित किया हुआ है :–

अजमेर जोन :– अजमेर, भीलवाडा, नागौर एवं टोंक ।
जयपुर जोन :– अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, झुन्झुनू एवं सीकर ।
जोधपुर जोन :– जोधपुर, बाडमेर, जैसलमेर, जालोर, पाली एवं सिरोही
कोटा जोन :– बांरा, सवाईमाधोपुर, करौली, बून्दी, झालावाड एवं कोटा
बीकानेर जोन :– बीकानेर, चूरु, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ
उदयपुर जोन :– चित्तोडगढ, बॉसवाडा, डूंगरपुर, राजसमन्द, उदयपुर तथा प्रतापगढ ।

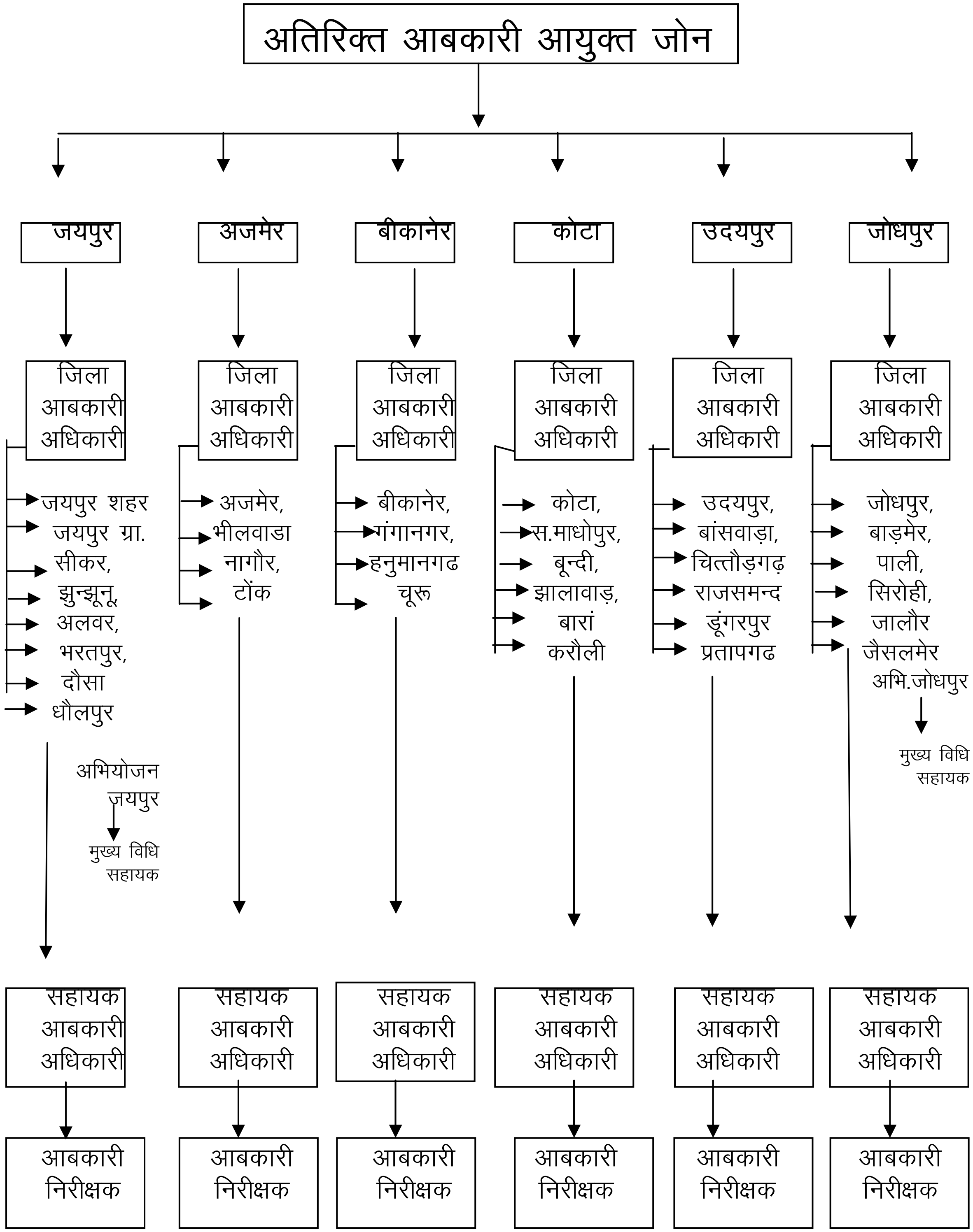
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन
जयपुर
अजमेर
बीकानेर
कोटा
उदयपुर
जोधपुर
जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर
जयपुर ग्रा.
सीकर,
झुन्झून्,
अलवर,
भरतपुर,
दौसा
धौलपुर
अभियोजन जयपुर
मुख्य विधि सहायक
अजमेर,
भीलवाडा
नागौर,
टोंक
बीकानेर,
गंगानगर,
हनुमानगढ
चूरू
कोटा,
स.माधोपुर,
बून्दी,
झालावाड़,
बारां
करौली
उदयपुर,
बांसवाड़ा,
चित्तौड़गढ़
राजसमन्द
डूंगरपुर
प्रतापगढ
जोधपुर,
बाड़मेर,
पाली,
सिरोही,
जालौर
जैसलमेर
अभि.जोधपुर
मुख्य विधि सहायक
सहायक आबकारी अधिकारी
आबकारी निरीक्षक

17. आबकारी विभाग के <u>महत्वपूर्ण</u> अधिकारियों के टेलिफोन नम्बर्स की सूची :–

विभाग के मुख्यालय उदयपुर स्थित कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर तथा राज्य के संभाग एवं जिला स्तर पर पदस्थापित विभिन्न महत्वपूर्ण अधिकारियों के नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर, दुरभाष (कार्यालय एवं निवास) तथा फेक्स नम्बर इत्यादि की सूची <u>परिशिष्ठ अ</u> के रूप में संलग्न है ।

18. <u>सूचना के अधिकार के अन्तर्गत व्यवस्था</u> :–

- आबकारी विभाग के मुख्यालय स्थित कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर में वर्तमान में जिला आबकारी अधिकारी, मुख्यालय के पद पर पदस्थापित श्री जितेन्द्रनाथ पुरोहित को विभाग का सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है । विभाग की राज्य स्तरीय सूचनाओं को आम नागरिकों को प्रदान किये जाने हेतु इनके अधीनस्थ एक सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ पृथक से स्थापित किया गया है जहां आवेदन प्राप्त किये जाकर निस्तारण किया जाता है ।
- राज्य में प्रत्येक संभाग/जिला स्तर पर पदस्थापित विभाग के अधिकारियों को उनके संबंधित क्षैत्र का लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है । कोई भी नागरिक प्राप्त की जाने सूचनाओं के क्षैत्र के आधार पर इस स्तर के कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।
- मुख्यालय में राज्य स्तरीय सूचनाओं के आवेदन के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्रनाथ पुरोहित, सहायक लोक सूचना अधिकारी, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर इनके अधीनस्थ स्थापित सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ द्वारा एक ही अनुभाग से सूचनाएं संबंधित होने पर आवेदक को सीधे ही नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेश प्रदान किये जाते है तथा आवेदित सूचना मुख्यालय के एक से ज्यादा अनुभागों से संबंधित होने पर, सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ के द्वारा सूचना एकजाई कर आवेदक को उपलब्ध कराई जाती है ।
- विभाग के विभिन्न स्तर पर पदस्थापित लोक सूचना अधिकारियो के नाम, मोबाईल, दुरभाष नम्बर्स इत्यादि की सूचना <u>परिशिष्ठ– ब</u> के रूप में संलग्न है ।
- आवेदित सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकारी (संभाग/जिला अथवा किसी भी स्तर के कार्यालय) से प्राप्त नहीं होने की अवस्था में आवेदक, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपनी अपील, लोक सूचना (अपीलीय) अधिकारी, राजस्थान, उदयपुर को सम्बोधित कर, 2 पंचवटी, आबकारी भवन, गुमानियावालां, उदयपुर, स्थित कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है ।

19. <u>विभाग की वेबसाईट</u> :–

विभाग का अधिकांश कार्य लान लाईन किया जाता है । आम नागरिक विभाग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिये विभाग की वेबसाईट www.rajexcise.org पर लॉग ऑन कर सकता है।

——————————————————

Annexure -A

List of Officer and Their Designation of Excise Department

EPBX No. 0294 – 2527086, 2526802 & FAX No. 0294 - 2527074, 2526801

S. No.	Name of Officer	Designation	Mobile No		Telephone No (Land Line)			
			RSBCL	Personal	STD Code	Office	Res.	Fax No.
1	Sh. Akhil Arora, I.A.S.	E.C. Udaipur	9414076789		294	2524911 2740829	2523655	2526801
		E.C. Udaipur (Camp Jaipur)	9829997397		141		-	2740829
2	Sh. Amrit Kalsah	Director, Enforce. Jaipur			141	5115999	2550988	5116777
3	Sh Ashok Bhandari	Addl. Comm. (Adm) HQ	9414040605		294	2523124	2432608	2526801
4	Dr. R. P. Sharma	Addl. Comm. Udaipur	9414040660		294	2527074	2490727	2527074
5	Sh. Bhupesh Mathur	C.A.O.			294	2528397	2460874	2526801
6	Sh. Omkar singh	Jt. .L.R.	9414163314		294	2414837	2440194	2526801
7		Computer Programmer				2525920		
8	Sh. Shravan Sahani	Addl. Comm., Jaipur	9414040610	9829064446	141	2741087	2609494	2740829
9	Sh. Saeed Ahmad	Addl. Comm., Ajmer	9414040620	9414550710	145	2420008	2420008	2423516
10	Sh.	Addl. Comm., Bikaner	9414040630		151	2530017	2233910	2530017
11	Sh. Kamaluddin Khilgi	Addl. Comm., Jodhpur	9414040640		291	2650394		2650396
12	Sh. Bhuraram	Addl. Comm. Kota	9414040650	9829041141	744	2364577	2470055	2364577
13	Sh. Jitendranath Purohit	DEO HQ & D.C. S. & A			294	2525154		2526801
14	Sh Rishiraj Singh	D.C. EPF, Udaipur		9414436747	294	2524308	2493003	
15	Sh.Sudhir Joshi	Dy.,SP,EPF,Udaipur			294	2484818		512264
16	Sh.	Sr. Accounts Officer		9414235592	294	2527086	2413707	2526801
17	Mrs. Pushpa Suhalka	A.L.R.			294	2414837		2526801
18	Sh.Dheeraj Sisodia	Accounts Officer		9414208245	294	2527086		
19	Sh. Rahul Jain	Asstt. Chem. Exam.			294	2527086		2526801
20	Sh. K.K. Sharma	DEO, Ajmer	9413340071		145	2423516		2423516
21	Sh. Ram Swaroop	DEO, Alwar			144	2732400		2732400
22	Sh. Nanuram Khatik	DEO, Banswara	9413341526		2962	250560	250761	241310
23	Sh.H.S. Choudhry	DEO, Barmer	9413340074	9414372908	2982	220427	221836	220427
24	Sh.D.C.Sharma	DEO, Bharatpur	9413340075	9352536829	5644	225477		231542
25	Sh.Durgalal Gupta	DEO, Bhilwara	9413340076	9414169199	1482	232718	232759	232718
26	Sh. R.N. Meena	DEO, Bikaner	9413340078		151	2200884	2233125	2530017
27	Sh.K.K. Sharma	DEO, Bundi		9414183515	747	2457249	2443385	2444958
28	Sh.Kojaram	DEO, Baran	9413340081	9414246486	7453	231526	232864	231846
29	Sh.R.M. Gupta	DEO, Chittorgarh	9413341527	9414081281	1472	241587	240170	241587
30	Sh. R.R. Vanvala	DEO, Pratapgarh		9799828869	1478	222330		220583
31	Sh.J.P. Ranga	DEO, Churu	9413340083	9414238030	1562	250307	251723	250275
32	Sh H.L.Saharan	DEO, Ganganagar	9413340084		154	2470182	2441982	2478093
33	Sh. A.P. Sharma	DEO, Hanumangarh	9413340085	9414244126	1552	222088	223078	223095
34	Sh. B.S. Sharma	DEO, Tonk	9413340086		1432	246717		243943

35	Sh.J.M.Meena	DEO, Jaipur City	9413340087		141	2743196	2525188	2740829
36	Sh. PrabhuSingh Meena	DEO, Dausa	9413340090	9414304833	1427	221180		230990 /230724
37	Sh.M.R. Inania	DEO, (Pros.) Jaipur		9414044144	141	2740706	2597080	2740829
38	Sh D.P.Goswami	DEO Jaipur Rural	9414040027	9413704837	141	2744580		2740829
39	Sh. K.R. Parmar	DEO, Jalore	9413340091	9414152951	2973	222543		222207
40	Sh. R. D. Meena	DEO, Jhalawar	9413340092		7432	232651		232651
41	Sh D.P. Meena	DEO, Jhunjhunu	9413340093	9829051321	1592	232904	234918	232904
42	Sh.S.N. Bhati	DEO, (Pros.) Jodhpur		9414090362	291	2650394	-	2650396
43	Sh. Mohd Yaseen Pathan	DEO, Jodhpur	9413340094	9414195100	291	2555324	2650398	2650396
44	Sh. S.M. Verma	DEO, Kota	9413340095		744	2365623		5122744 / 2364893
45	Sh.Ganesharam, AEO	DEO, Nagaur	9413340096		1582	240019	240019	242344
46	Sh. R.S. Rathore	DEO, Pali	9413340097	9414045284	2932	256326	251099	257806
47	Sh.B.L.Malakar	DEO, S. Madhopur	9413340098		7462	224062	220588	224062
48	Sh.C.S. Vijay	DEO, Karoli	9413345018		7464	220271		220287
49	Sh.Sumer singh	DEO, Sikar	9413340099	9413519990	1572	248650	241021	517762
50	Sh.Kesararam	DEO, Sirohi	9413342073		2972	220709	220717	220709
51	Sh. S.C. Vyas	DEO, Udaipur	9413340102	9413342005	294	2527360	2461183	2527074
52	Sh. C.S. Jhala	DEO, Rajsamand	9413342074	9414173437	2952	221650		223428
53	Sh.B.L.Gularia	DEO, Dholpur	9829018611	9413918496	5642	220763	220561	220763
54	Sh. U.K. Mathur	DEO, Jaisalmer		9414237723	2992	251608		255207/ 253182
55	Sh.K.P.Deewana	DEO,Dungarpur		9414482945	2964	230009		234990/ 230303
56	Sh.Vivekanand Sharma,AEO	DEO, Distillery Udaipur		9414466415	294	2494342	2485051	2492334
57	Sh M.L.Sharma	DEO, Distillery Jaipur		9414042864	141	2233849		2233453
58	Sh.Ganga Singh	E.O. EPF, Udaipur	9414000850		294	2482121		
59		EPF Line Udaipur			294	5122803		
60	Sh.Mukesh Deopura	AEO, RSBCL Pratap Nagar			294	2490272		

संलग्नक – ब

आबकारी विभाग के विभिन्न स्तर के लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा उनके मोबाईल/दुरभाषों की सूची

क. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यक्षेत्र	मोबाईल नम्बर		दूरभाष (लेण्ड लाईन) संख्या			
				आरएसबीसीएल	व्यक्तिगत	कोड संख्या	कार्यालय	निवास	फेक्य
1	श्री अखिल अरोडा	लोक सूचना (अपीलीय) अधिकारी	राजस्थान	9414040660		294	2524911		2526801
2	डॉ. आर. पी. शर्मा	लोक सूचना अधिकारी	राजस्थान			294	2527074	2490727	2527074
2	श्री जितेन्द्रनाथ पुरोहित	सहायक लोक सूचना अधिकारी	राजस्थान			294	2525154		2526801
3	डॉ. आर. पी. शर्मा	लोक सूचना अधिकारी	संभाग, उदयपुर	9414040660		294	2527074	2490727	2527074
4	श्री श्रवण साहनी	लोक सूचना अधिकारी	संभांग जयपुर	9414040610	9829064446	141	2741087	2609494	2740829
5	श्री सईद अहमद	लोक सूचना अधिकारी	संभाग, अजमेर	9414040620	9414550710	145	2420008	2420008	2423516
6	रिक्त	लोक सूचना अधिकारी	संभाग, बीकानेर	9414040630		151	2530017	2233910	2530017
7	श्री कमालुद्दील खिलजी	लोक सूचना अधिकारी	संभाग, जोधपुर	9414040640		291	2650394	2650395	2650396
8	श्री भूराराम	लोक सूचना अधिकारी	संभाग, कोटा	9414040650	9829041141	744	2364577	2470055	2364577
9	श्री के. के. शर्मा	लोक सूचना अधिकारी	जिला अजमेर	9413340071		145	2423516		2423516
10	श्री रामस्वरूप	लोक सूचना अधिकारी	जिला अलवर		9414055020	144	2732400		2732400
11	श्री नानूराम खटीक	लोक सूचना अधिकारी	जिला बांसवाडा	9413341526		2962	250560	250761	241310
12	श्री एच. एस. चौधरी	लोक सूचना अधिकारी	जिला बाडमेर	9413340074	9414372908	2982	220427	221836	220427
13	श्री डी. सी. शर्मा	लोक सूचना अधिकारी	जिला भरतपुर	9413340075	9352536829	5644	225477		231542
14	श्री दुर्गालाल गुप्ता	लोक सूचना अधिकारी	जिला भीलवाडा	9413340076	9414169199	1482	232718	232759	232718
15	श्री आर. एन. मीणा	लोक सूचना अधिकारी	जिला बीकानेर	9413340078		151	2200884	2233125	2530017
16	श्री के. के. शर्मा	लोक सूचना अधिकारी	जिला बून्दी		9414183515	747	2457249	2443385	2444958
17	श्री कोजाराम	लोक सूचना अधिकारी	जिला बारां	9413340081	9414246486	7453	231526	232864	231846
18	श्री आर. एम. गुप्ता	लोक सूचना अधिकारी	जिला चित्तौडगढ	9413341527	9414081281	1472	241587	240170	241587
19	श्री राजाराम वांवला	लोक सूचना अधिकारी	जिला प्रतापगढ		9799828869	1478	222330		220583
20	श्री जे. पी. रंगा	लोक सूचना अधिकारी	जिला चुरू	9413340083	9414238030	1562	250307	251723	250275
21	श्री एच.एल. सहारण	लोक सूचना अधिकारी	जिला गंगानगर	9413340084		154	2470182	2441982	2478093
22	श्री ऐ.पी. शर्मा	लोक सूचना अधिकारी	जिला हनुमानगढ	9413340085	9414244126	1552	222088	223078	223095
23	श्री बी. एस. शर्मा	लोक सूचना अधिकारी	जिला टोंक	9413340086		1432	246717		243943
24	श्री जे. एम. मीणा	लोक सूचना अधिकारी	जिला जयपुर शहर	9413340087		141	2743196	2525188	2740829
25	श्री प्रभुसिंह मीणा	लोक सूचना अधिकारी	जिला दौसा	9413340090	9414304833	1427	221180		230990 / 230724
26	श्री एम.आर.इनाणिया	लोक सूचना अधिकारी	जिला जयपुर		9414044144	141	2740706	2597080	2740829
27	श्री डी.आर. गोस्वामी	लोक सूचना अधिकारी	जिला जयपुर ग्रामीण	9414040027	9413704837	141	2744580		2740829
28	श्री के. आर. परमार	लोक सूचना अधिकारी	जिला जालौर	9413340091	9414152951	2973	222543		222207
29	श्री आर.डी. मीणा	लोक सूचना अधिकारी	जिला झालावाड	9413340092		7432	232651		232651
30	श्री डी. पी. मीणा	लोक सूचना अधिकारी	जिला झुन्झुनू	9413340093	9829051321	1592	232904	234918	232904
31	श्री एस. एन. भाटी	लोक सूचना अधिकारी	जिला जोधपुर		9414090362	291	2650394	-	2650396
32	श्री मो.यासीन पठान	लोक सूचना अधिकारी	जिला जोधपुर	9413340094	9414195100	291	2555324	2650398	2650396
33	श्री. एस.एम. वर्मा	लोक सूचना अधिकारी	जिला कोटा	9413340095	9414309561	744	2365623		5122744 /2364893

34	श्री गणेशाराम, सआअ	लोक सूचना अधिकारी	जिला नागौर	9413340096		1582	240019	240019	242344
35	श्री आर. एस. राठौड	लोक सूचना अधिकारी	जिला पाली	9413340097	9414045284	2932	256326	251099	257806
36	श्री बी.एल.मालाकार	लोक सूचना अधिकारी	जिला सवाई माधोपुर	9413340098		7462	224062	220588	224062
37	श्री सी. एस. विजय	लोक सूचना अधिकारी	जिला करौली	9413345018		7464	220271		220287
38	श्री सुमेर सिंह	लोक सूचना अधिकारी	जिला सीकर	9413340099	9413519990	1572	248650	241021	517762
39	श्री केसराराम	लोक सूचना अधिकारी	जिला सिरोही	9413342073		2972	220709	220717	220709
40	श्री एस. सी. व्यास	लोक सूचना अधिकारी	जिला उदयपुर	9413340102	9413342005	294	2527360	2461183	2527074
41	श्री सी. एस. झाला	लोक सूचना अधिकारी	जिला राजसमन्द	9413342074	9414173437	2952	221650		223428
42	श्री बी.एल. गुलेरिया	लोक सूचना अधिकारी	जिला धौलपुर	9829018611	9413918496	5642	220763	220561	220763
43	श्री यू. के. माथुर	लोक सूचना अधिकारी	जिला जैसलमेर		9414237723	2992	251608		255207 / 253182
44	श्री के.पी. दीवाना	लोक सूचना अधिकारी	जिला डूंगरपुर		9414482945	2964	230009		234990 / 230303

———————————————————